

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सिद्धार्थनगर ।

संख्या 83 / आबकारी / व्यवस्थापन-45(2) / 2020-21 / विज्ञापित / दिनांक: 07 मई 2020

विज्ञापित

वित्तीय वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति विषयक आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 26444 / दस- लाइसेंस -367 / आबकारी नीति / 2020-21 दिनांक 25.01.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2020-21 हेतु अवशेष देशी मदिरा की 07 दुकानों कमशः 01- गौल्हौरा 02- भारत भारी 03- आजाद नगर 04- पंचमोहनी 05- बजहा बाजार 06- भदोव चौराहा 07- भुवही घाट, विदेशी मदिरा की 06 दुकानों कमशः 01- कुर्थिया 02- पटेहरी 03- बेलवा बिजौरा 04- बेलवा 05- रमवापुर नेबुआ 06- सोहास (निलम्बित) बीयर की 01 दुकान सोहास(निलम्बित) , माडलशॉप की 01 दुकान गौधीनगर तैतरी बाजार का दैनिक आधार पर व्यवस्थापन 14 दिवस अथवा नियमित व्यवस्थापन जो कि पहले हो अथवा निलम्बित दुकान पर प्रकरण में निर्णय होने अथवा इस सम्बन्ध में पारित होने वाले आदेश के होने तक दैनिक एम0जी0क्यू0 / लाइसेंस फीस पर सर्वोच्च आफर प्राप्त कर 11मई 2020 से किया जाना है।

व्यवस्थित की जाने वाली उपरोक्त दुकानों के निर्धारित न्यूनतम दैनिक एम0जी0क्यू0 / लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार नहीं किया जायेगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। आफर सील बन्द लिफाफे में स्वीकार किया जायेगा, दैनिक व्यवस्थापन की समय सारणी निम्नवत् है-

आफर प्रस्तुत करने का दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 11.05.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सिद्धार्थनगर।
आफर खोलने का दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 11.05.2020 को अपरान्ह 01.00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सिद्धार्थनगर।

दुकानों का विस्तृत विवरण जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय / क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक एवं जनपद की वेबसाइट <https://siddharthnagar.nic.in/> से प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी दुकान का दिनांक 11.05.2020 को आफर प्राप्त नहीं होता है तो उस पर अग्रिम दिवसों में भी आफर स्वीकार किया जायेगा।

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

जिला आबकारी अधिकारी
सिद्धार्थनगर

(दीपक मीणा)

जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी
सिद्धार्थनगर ।

संख्या 84 / तद्दिनांक

प्रति- स्थानीय संवाददाता 1-

2-

को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापित अपने समाचार पत्र में 13सेन्टीमीटर X13सेन्टीमीटर (लगभग) स्थान पर प्रकाशित कराकर बिल सूचना कार्यालय से सत्यापित कराकर भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

जिला आबकारी अधिकारी
सिद्धार्थनगर ।